



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्र. 2527532
तार : पुनिष्ठसिंढी

क्र./प्रशा./प्रवेश(1)/95-2004/846


दिनांक : 14/6/2004

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक प्रशासन-प्रवेश(1)/95, 3175 दिनांक 12.7.1996 के तारतम्य में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालाओं एवं संस्थानों में गतिशील समस्त पाठ्यक्रमों (सामान्य एवं स्ववित्त) के अंतर्गत विश्वविद्यालय में नियमित एवं स्थायी रूप से कार्यरत शिक्षको/अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिये निर्धारित शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है।

1. प्रथम श्रेणी कर्मचारी एवं समस्त शिक्षक वर्ग - निर्धारित शुल्क की कुल राशि का 50 प्रतिशत जमा करना होगा।
2. द्वितीय श्रेणी कर्मचारी - निर्धारित शुल्क की कुल राशि 20 प्रतिशत जमा करना होगा।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा, पूर्ण शुल्क मुक्ति।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ.क्र./प्रशा./प्रवेश(1)/95-2004/846

दिनांक : 14/6/04

1. विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं/संस्थाओं के समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक
2. विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण।
3. कुलपतिजी के सचिव।
4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ।
5. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अधिकारी संघ।
6. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रोपित।

